

DGT-Daff/19/2020-O/o DIR(TC)(MP)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012;

दिनांक- 28.08.2020

सेवा में,

एस० बी०प्राइवेट आईटीआई,657,

गाव गांधारी झाँसी रोड,

जिला दतिया, मध्यप्रदेश, पिनकोड-475661

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय,


श्रीमती रामलली-रामकुमार दांगी जनपद सदस्य जनपद पंचायत दतिया, मध्यप्रदेश दिनांक 14.08.2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की इस महानिदेशालय को दिनांक 14.08.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि आईटीआई में बिना आवेदन/निरीक्षण के सीटों में वृद्धि गई है। (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये। आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को 15 दिन के भीतर (14.09.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं। तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

➤ शो कॉज नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर भेजे।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)


निदेशक, प्रशिक्षण


नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:

1. रोजगार और प्रशिक्षण निदेशालय, ब्लॉक नं. 9 सिविक सेंटर माघोटल, जबलपुर - 482002 मध्यप्रदेश
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR23000688)

भारत सरकार के द्वारा जारी करे.


राजत सिंह
4/9/2020


(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

2



DGT-Daff/19/2020-O/o DIR(TC)(MP)

भारत सरकार

कोशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 28.08.2020

सेवा में,

आर० सी० एल० प्राइवेट आईटीआई,
गाव पचरा पोस्ट बडोनी,
दतिया, मध्यप्रदेश, पिनकोड-475686

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय,


श्रीमती रामलली-रामकुमार दांगी जनपद सदस्य जनपद पंचायत दतिया, मध्यप्रदेश दिनांक 14.08.2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की इस महानिदेशालय को दिनांक 14.08.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि आईटीआई में बिना आवेदन/निरीक्षण के सीटों में वृद्धि गई है। (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये। आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को 15 दिन के भीतर (14.09.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं। तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

➤ शो कॉज नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर भेजे।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:

1. रोजगार और प्रशिक्षण निदेशालय, ब्लॉक नं. 9 सिविक सेंटर माघोटल, जबलपुर - 482002 मध्यप्रदेश

2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR23000657)

9



सी कार सेक्शन कृ. जरी करे

5/9/2020



संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/19/2020-O/o DIR(TC)(MP)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 28.08.2020

सेवा में,

जे० एम० आर० डी० प्राइवेट आईटीआई,
प्लाट न०-274 रतनगढ़ माता रोड चरोखरा,
भगुआरामपुरा, दतिया, मध्यप्रदेश, पिनकोड-475673

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय,


श्रीमती रामलली-रामकुमार दांगी जनपद सदस्य जनपद पंचायत दतिया, मध्यप्रदेश दिनांक 14.08.2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की इस महानिदेशालय को दिनांक 14.08.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि आईटीआई में बिना आवेदन/निरीक्षण के सीटों में वृद्धि गई है। (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये। आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को 15 दिन के भीतर (14.09.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं। तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

➤ शो कॉज नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर भेजे।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार


(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण


नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।


प्रति:

1. रोजगार और प्रशिक्षण निदेशालय, ब्लॉक नं. 9 सिविक सेंटर माघोटल, जबलपुर - 482002 मध्यप्रदेश
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR23000566)



सी.आर. सेंशन कृ. जमी कद्रे


5/9/2020


(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

स्पीड पोस्ट द्वारा

DGT-Daff/19/2020-O/o DIR(TC)(MP)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 28.08.2020

सेवा में,

वीरांगना लक्ष्मी बाई प्राइवेट आईटीआई
गाऊँ बिकार, जिला दतिया,
मध्यप्रदेश, पिन कोड-475661

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस।

महोदय,

श्रीमती रामलली-रामकुमार दांगी जनपद सदस्य जनपद पंचायत दतिया, मध्यप्रदेश दिनांक 14.08.2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की इस महानिदेशालय को दिनांक 14.08.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि आईटीआई में बिना आवेदन/निरीक्षण के सीटों में वृद्धि गई है। (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये। आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को 15 दिन के भीतर (14.09.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं। तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

➤ शो कॉज नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर भेजे।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय




(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:

1. रोजगार और प्रशिक्षण निदेशालय, ब्लॉक नं. 9 सिविक सेंटर माघोटल, जबलपुर - 482002 मध्यप्रदेश
(एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR23000782)




(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण